मोहम्मद फारुख आलम
बनाम
रशीदा खातुन

...14 फारम सं० 562

आदेश पत्रक

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

.... तक जिला धनबाद

आदेश पत्रक सं०....................

धारा 144 द.प्र.सं.

एम.पी. वाद संख्या 395/17

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अनुपूरित
9.3.17	द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत थाना प्रभारी, भुली अ.प्रा.सं. 01/17 दिनांक- 5-3-17 से प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन में दिया गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच भूमि विवाद है। जिसमें पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए दोनों पक्षों के विरूद्ध द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत कार्रवाई करके प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई है। पुलिस प्रतिवेदन का मैंने अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, जिसका तुरंत रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उभय पक्षों के विरूद्ध द.प्र.सं. की धारा-144 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। कार्रवाई पर्यन्त 60 (साठ) दिनों तक प्रश्नगत भूमि पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि- 17.3.17 को 10.00 बजे पूर्वा० में मेरे न्यायालय में निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपना अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं धारा-144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरूद्ध सम्पुष्ट किया जाय। **प्रश्नगत भूमि का विवरण** मौजा नं0-4, खाता नं0-08, प्लोट नं0-2022, 2682, 2683, रकवा-49 डी। चौहद्दी-पुरब-मो0 सलाउदीन का निचे ईटा उपर खपरा का मकान, पश्चिम-आवेदक अखतर आलम का निचे ईटा एवं उपर अलवेस्टर का घर तथा आगे में रिलाईन्स कम्पनी का टावर, उत्तर-सरवर आलम का नव निर्मित मकान, दक्षिण-खाली जमीन। लेखापित एवं संशोधित अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद। अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद।	

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.22 16:52:55 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner